न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/123/2021	2021/161	08–10–2021	15–06–2022

01. गूगन पुत्र भौरे लाल जाति गुर्जर,
02. रतिराम पुत्र भौरे लाल जाति गुर्जर,
03. दाताराम पुत्र भौरे लाल जाति गुर्जर निवासीयान मीरापुर तहसील बानसूर जिला अलवर। (राजस्थान)

–अपीलांटान

बनाम

01. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर। (राजस्थान)

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 28.01.2019 प्रकरण संख्या 315/2019 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विवादित आराजी किस्म बजड की भूमि से पेनल्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने जाने बाबत।

उपस्थितः–

1–श्री अशोक कुमार मुदगल –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलाण्टान ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 28.01.2019 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 315/2019 उनवान सरकार बनाम गूगन वगै0 में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम मीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 में से 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन नला की भूमि पर पक्का निर्माण खेल व पानी की टंकी बनाकर किये गये अतिक्रमण के विरूद्व पैलन्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि ग्रामवासीयान द्वारा अतिकमण करने की शिकायत आराजी खसरा न0 122 रकबा 1.83 है0 वाके ग्राम मीरपुर तहसील बानसूर के बारे में की गयी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून खिलाफ मौका आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 में से 13 बाई 4 फुट से वेदखल करने के आदेश जारी किये है, जो निरस्त होने योग्य है। आराजी खसरा न0 224 रकवा 0.27 है0 जिसको राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला बताया है, मौके पर कोई नाला नही है वल्कि समतल आराजी है। आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 के पुराने न0 170/536 रकवा 1 बीधा 1 बिस्वा से बने है, जो राजस्व रिकार्ड में 536/170 उल्टा लिखा गया है। तथा खसरा न0 536/170 गलत खसरा न0 252 रकबा 10 बिस्वा, 254 रकबा 3 बिस्वा, 255 रकवा 1 बिस्वा, 274 रकबा 4 बिस्वा, 275 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से वना है। आराजी खसरा न0 252 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का था, उक्त न0 के रकबे में 10 बिस्वा का रकवा हाल आराजी खसरा न0 224 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में मिलाया गया है, खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

... जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 224

न0 252 के मालिक काश्तकार हमारे दादा मान पुत्र मगन रावत रहे है। जिस बाबत राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर में विचाराधीन है। विवादित आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 गैर मुनकिन नला जो वर्तमान में नला न होकर समतल भूमि है, जिसमें काफी पशु व जानवर उठते बैठते है, व आस पास पशुओ व जानवरो को पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण मिन अपीलान्टान ने परमार्थ एवं धमार्थ 13 बाई 4 फुट की खेल तथा राहगीरो हेतु पानी पीने हेतु एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। उक्त तथ्यो को तहत अदालत ने गौर नही किया है, मिन अपीलान्टान के द्वारा कोई नाजायज कब्जा नही किया गया है। शिकायतकर्ता मिन अपीलान्टान से आपसी व राजनैतिक रंजिश रखते है, जिन्होने अपीलान्टान द्वारा उक्त नेक कार्य करने की रंजिश से गलत तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय को शिकायत की है। अपील निर्णय दिनाक 28.01.2019 से अन्दर मियाद पेश है। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.01.2019 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपील में वर्णित आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 किस्म गैर मुनकिन नला की भूमि राजकीय भूमि है, जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित होने के कारण अपील अपीलान्टान खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्टान बहस पर मनन किया। तहत अदालत ने सम्वत 2075 में ग्राम नीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 में से 0.01 है0 किस्म गैर मुनकिन नला की भूमि पर पक्का निर्माण खेल व पानी की टंकी बनाकर किये गये अतिक्रमण के विरूद्व नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया अतिक्रमीयो की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर समुचित जवाब पेश किया गया है। जिस पर तहत अदालत द्वारा नियमानुसार जॉच कर ग्राम नीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा न0 224 रकबा 0.27 है0 में से 0.01 है0 किस्म गैर मुनकिन नला की भूमि पर पक्का निर्माण खेल व पानी की टंकी बनाकर किये गये अतिक्रमण के विरूद्व विविदत निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नला राजकीय भूमि है, जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित है। अत अपील अपीलान्टान खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टान खारिज की जाती है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनाक 15.06.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-06-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर प्रथम
अलवर (राजस्थान